संख्या- 107 /2026 / 728 /चार-2026- 1765578

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2026**

विषय:- हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ को गैर वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4579 /सं0नि0-20(हरि0क0के0/गै0वे0-12)/2023- 24, दिनांक 06 मार्च, 2026 एवं जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या- 234/हरिऔध कला केन्द्र दिनांक 21 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा हरिऔध कला केन्द्र के विद्युत संयोजन संख्या-7632422724 के माह सितम्बर-दिसम्बर, 2025 एवं माह जनवरी-मार्च, 2026 के देयक तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिये तैनात पी०आर०डी० के जवानों एवं कार्य संचालन एवं रख-रखाव हेतु नियोजित जन शक्ति के माह जनवरी, फरवरी, मार्च, 2026 के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 33,45,166.00** का बजट आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया है कि हरिऔध कला केन्द्र के कार्य संचालन एवं रख-रखाव हेतु बनायी गयी नियमावली के अनुसार दिनांक 01.01. 2024 से 31.12.2025 तक आडिटोरियम, हाल एवं वाह्य परिसर की बुकिंग से **रूपये 11,84,500.00 की आय** हुई है, जिसमें से **रूपये 5,53,257.00 अवशेष** है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवशेष माहों (जनवरी, फरवरी व मार्च) में देयकों हेतु **वांछित धनराशि रू0 33.46 लाख** के सापेक्ष हरिऔध कला केन्द्र की **आय में** से उनके पास अवशेष धनराशि **रू0 5.53 लाख** को घटाते हुए **रू0 27.93 लाख (रूपये सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा-24-हरिऔध कला भवन, आजमगढ़-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(5) संस्कृति निदेशालय/ हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) संस्कृति निदेशालय/ हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण शासन को एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला और संस्कृति का संवर्धन-04-भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में हो रही बचतों से पूर्णांकित धनराशि रू0 27.93 लाख (रु0 सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र) को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा-24-हरिऔध कला भवन, आजमगढ़-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 107/2026 / 728(1) /चार-2026- 1765578 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-728-Reapp Harioudh

विषय:- हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ को गैर वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटन कराये जाने के संबंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001020400 (भारतरत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	73,34,000 रुपये तिहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र	27,93,000 रुपये सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र	27,93,000 रुपये सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र	82,07,000 रुपये बयासी लाख सात हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 27,93,000	₹ 27,93,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001012400 (हरिऔध कला भवन, आजमगढ़)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	55,37,000 रुपये पचपन लाख सैंतीस हजार मात्र	27,93,000 रुपये सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र	27,93,000 रुपये सत्ताईस लाख तिरानबे हजार मात्र	83,30,000 रुपये तिरासी लाख तीस हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 27,93,000	₹ 27,93,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-614-E-7-263-X-2025-26-दिनांक: 23-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 107 /2026 / 728(1) /चार-2026- 1765578 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।